

27.8.24

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में हैं। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 30-9-24 को पेश हो।

30-9-24

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में हैं। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 04-10-24 को पेश हो।

04-10-24

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में हैं। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 09-10-24 को पेश हो।

09.10.2024

पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। प्रकरण में जारी प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 2186/भू0अ0/2024 दिनांक 26.09.2024 के द्वारा पालना रिपोर्ट मय विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट पेश हुई। जो शामिल पत्रावली की गई। वकील वादीगण ने प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति व्यक्त करते हुए आज ही बहस सुनी जाने का निवेदन किया। जिस पर बहस वकील वादीगण एकपक्षीय सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 16.10.2024 को पेश हो।

(अनिल कुमार)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
 श्रीमाधोपुर (सीकर)

16.10.2024

पत्रावली आज वास्ते निर्णय / आदेश हेतु पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। प्रकरण में बहस वकील वादीगण एक पक्षीय पूर्व में सुनी जा चुकी है। वकील वादीगण द्वारा

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)
21 नवंबर 2024

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

दस्ता

क्र. नं. - 10/2024

पेश वादपत्र बाबत तकारमा एंव स्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार किए जाने योग्य पाये जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाता है तथा वादपत्र को डिकी किया जाता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 2186/भू0अ0/2024 दिनांक 26.09.2024 के द्वारा पालना रिपोर्ट मय विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट को डिकी का भाग बनाया जाता है। निर्णयानुसार पर्चा डिकी जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।



(अनिल कुमार)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकथाना)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर जिला- नीमकाथाना
पीठासीन अधिकारी - श्री अनिल कुमार (RAS)

प्रकरण संख्या
10/2021

जीसीएमएस
2021/13

दायर दिनांक
27.01.2021

निर्णय दिनांक
16.10.2024(अन्तिम डिक्री)

उनवान प्रकरण

भेंवर लाल पुत्र देबूराम मृत्तक के बजाय :-


- 1/1 चौथी देवी पत्नी स्व० भेंवरलाल आयु 75 वर्ष
- 1/2 जगराम पुत्र स्व० भेंवरलाल आयु 58 वर्ष
- 1/3 सोहनलाल पुत्र स्व० भेंवरलाल आयु 50 वर्ष
- 1/4 कानाराम पुत्र स्व० भेंवरलाल आयु 47 वर्ष
- 1/5 कमली देवी पुत्री भेंवरलाल आयु 60 वर्ष
- 1/6 सन्ती देवी पत्नी स्व० धूडाराम पुत्रवधु स्व० भेंवरलाल आयु 53 वर्ष
- 1/7 मुकेश पुत्र स्व० धूडाराम पौत्र स्व० भेंवरलाल आयु 25 वर्ष
- 1/8 लोकेश पुत्र स्व० धूडाराम पौत्र स्व० भेंवरलाल आयु 22 वर्ष

संमस्त जाति अहीर निवासीगण ढाणी गादली तन् बुर्जा की ढाणी तहसील श्रीमाधोपुर
जिला सीकर राज०


—वादीगण—

बनाम्

1. कैलाश पुत्र नारायण आयु 38 वर्ष
2. अर्जूनलाल पुत्र धन्नाराम आयु 50 वर्ष
3. कमली देवी पत्नि हरिराम आयु 45 वर्ष
4. गिरधारी लाल पुत्र नाथा उर्फ नाथूराम आयु 48 वर्ष
5. गीता देवी पुत्री बोदू आयु 47 वर्ष
6. गोठी देवी पुत्री प्रभूराम आयु 49 वर्ष
7. गोपाल पुत्र नारायण आयु 48 वर्ष


सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

8. मूली देवी पत्नी डालूराम आयु 46 वर्ष
 9. रोहिताश पुत्र डालूराम आयु 21 वर्ष
 10. सीता देवी पुत्री डालूराम आयु 24 वर्ष
 11. सावित्री देवी पुत्री डालूराम आयु 22 वर्ष
 12. कैलाश पुत्र दयालराम आयु 38 वर्ष
 13. रमेश पुत्र दयालराम आयु 35 वर्ष
 14. नानू पुत्र देबू आयु 70 वर्ष
 15. प्रेम देवी पत्नि नाथूराम आयु 52 वर्ष
 16. प्रेमप्रकाश पुत्र नाथूराम आयु 35 वर्ष
 17. पवन कुमार पुत्र नाथूराम आयु 33 वर्ष
 18. बनवारी लाल पुत्र बोदूराम आयु 48 वर्ष
 19. सुगाराम पुत्र बदरी आयु 60 वर्ष
 20. सीताराम पुत्र बदरी आयु 54 वर्ष
 21. माली देवी पुत्री बदरी आयु 56 वर्ष
 22. भीवाराम पुत्र नारायण आयु 50 वर्ष
 23. मनोज पुत्र हरिराम आयु 26 वर्ष
 24. लाडा देवी पत्नि धन्नाराम आयु 70 वर्ष
 25. लादूराम पुत्र नाथा उर्फ नाथूराम आयु 54 वर्ष
 26. श्योदानराम पुत्र प्रभूराम आयु 49 वर्ष
 27. श्रीराम पुत्र हरिराम आयु 29 वर्ष
 28. शिम्भूदयाल पुत्र नाथा उर्फ नाथूराम आयु 47 वर्ष
 29. सरोज देवी पुत्री नाथूराम आयु 27 वर्ष
 30. नन्धी देवी पत्नि सीताराम आयु 51 वर्ष
- समस्त जाति अहीर निवासीगण ढाणी गादली की तन् बुर्जा की ढाणी तहसील
श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
31. पटवारी बुर्जा की ढाणी तहसील श्रीमाधोपुर
 32. उप पंजीयक अजीतगढ़ जिला सीकर


सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

- 33 भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज०)
- 34 सुमेर सिंह दत्तक पुत्र रोहिताश सिंह आयु 47 वर्ष
- 35 बृज सिंह पुत्र बन्नेसिंह आयु 61 वर्ष
- 36 उमम सिंह पुत्र बालसिंह आयु 51 वर्ष
- 37 जगदीश सिंह पुत्र बाल सिंह आयु 45 वर्ष
- 38 रणजीत सिंह पुत्र मूल सिंह आयु 36 वर्ष
- 39 महीपाल सिंह पुत्र मूल सिंह आयु 30 वर्ष
- समस्त जाति राजपूत निवासीगण बुर्जा की द्वाणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज०
- 40 शाखा प्रबन्धक, एस.बी.आई. बैंक शाखा अजीतगढ़ जिला सीकर
- 41 शाखा प्रबन्धक, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड शाखा अजीतगढ़ जिला सीकर
- 42 शाखा प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक शाखा हरदारा का बारा जिला सीकर राज०
- 43 शाखा प्रबन्धक, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा झाड़ली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

—प्रतिवादीगण—


स्थित :-

श्री आदित्य प्रताप सिंह नरूका, एड० वादीगण अभिभाषक।
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 33 की ओर से।

वाद पत्र बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
(अन्तर्गत धारा 53, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम)

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1001 से 1017, 1023 से 1025, 1029, 1045 से 1058, 1069, 1070, 1264, 1266, 1267, 1309 से 1314, 1314/2794, 1315 से 1318, 1321, 988 से 990, 994, 997 से 999 कुल


उपस्थित कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

किता 59 कुल रकबा 16.36 हे० तन् ग्राम बुर्जा की ढाणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में स्थित होकर 1/8 हिस्से का सभी वादीगण काबिज खातेदार काश्तकार तथा शेष हिस्से की खातेदारी प्रतिवादीगण संख्या 1 से 30 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं। वादपत्र की उक्त वर्णित भूमियों की खातेदारी उक्त दर्ज हिस्से अनुसार संयुक्त रूप से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है परन्तु मौके पर उक्त भूमियों का वादी प्रतिवादीगण से बाहमी बंटवारा कर भूमियों को मौके पर अलग-अलग कर वादी एवं प्रतिवादीगण काबिज काश्त व आबाद चले आ रहे हैं तथा उक्त भूमियों की राजस्व रिकार्ड खातेदारी में संयुक्त रूप से दर्ज होने के कारण वादीगण को अपने हक हिस्से एवं अधिकार में बाहमी बंटवारे में आई हुई भूमियों का समुचित उपयोग-उपभोग एवं विकास करने में कठिनाईयाँ आ रही है। पक्षकारान् बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद अपने हक हिस्से एवं अधिकार की भूमियों का वादी कानूनन अधिकारी है। वादी द्वारा अपने सगे भाई प्रतिवादी नम्बर 14 नानू पुत्र देबू के हक में वादग्रस्त भूमियों में अपने 1/8 हिस्से में से 3962/186487 हिस्से का उपहार लेख पंजीयक कार्यालय अजीतगढ़ के यहाँ निष्पादित करवाया हुआ है तथा वादी एवं प्रतिवादी सं. 14 द्वारा उक्त वर्णित भूमियों में से भूमि खसरा नम्बर 1264, 1266, 1267, 1309 से 1314, 1314/2794, 1315 ता 1318, 1321 कुल किता 15 कुल रकबा 3.17 हैक्टर तन् ग्राम बुर्जा की ढाणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में हिस्सा 2/8 प्रतिवादी नम्बर 34 ता 39 के हक उप पंजीयक कार्यालय अजीतगढ़ के यहाँ विक्रय लेख तस्दीक कराया हुआ है। वादग्रस्त उक्त भूमियों का वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा मौके पर बाहमी बंटवारा कर काबिज काश्त है तथा बाहमी भाई बंटवारों के अनुसार वादी के कृषि भूमि खसरा नम्बर 1011 रकबा 0.44 हैक्टर सम्पूर्ण एवं खसरा नम्बर 1012 रकबा 0.53 हैक्टर सम्पूर्ण एवं खसरा नम्बर 1009 रकबा 0.35 हैक्टर में से 0.28 एयर भूमि उत्तरी दिशा की वादी के बाहमी बंटवारे में हक हिस्से एवं अधिकार में आयी हुई है तथा शेष 0.07 हैक्टर भूमि दक्षिणी तरफ की एवं शेष भूमि प्रतिवादीगण के हक हिस्से में आई हुई है। उक्त बाहमी बंटवारा के अनुसार पक्षकारान् वादी मौके पर काबिज काश्त एवं आबाद चला आ रहा है। इसी अनुसार बंटवारा किया जाकर अलग-अलग राजस्व रिकार्ड कायम कर दिया जाना तथा अलग-अलग नक्शा में



30
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

तरभीम किया जाना तथा अलग-अलग लगान कायम किया जाना न्यायोचित है तथा वादी उक्त बाहमी बंटवारा भूमियों का विभाजन करवाने का कानूनी अधिकारी है। उक्त वर्णितानुसार भूमि वादी के हिस्से व अधिकार में बाहमी बंटवारों के अनुसार आई हुई है। जिसको वर्तमान स्वरूप में कई लाखों रूपये खर्च कर उन्नत एवं उपजाऊ व विकसित किया है। जिसमें किसी भी प्रकार की दखल एवं खलल करने के कानूनी अधिकार प्रतिवादीगण को नहीं है, ना ही बाहमी बंटवारा भंग कर वादी की भूमियों को खुर्द-बुर्द, रहन, व्ययन करने के कानूनी अधिकार प्रतिवादीगण को प्राप्त है तथा ना ही नींव सींव को तोड़कर भूमियों पर जबरन कब्जा करने के अधिकार प्रतिवादीगण को संयुक्त खातेदारी की आड़ में प्राप्त है। वादी अपनी भूमियों की खातेदारी बाहमी बंटवारा के अनुसार भी राजस्व रिकार्ड में अपने नाम से अलग से दर्ज करवाने का कानूनन अधिकारी है। उक्त वर्णित कृषि भूमि की बंटवारा के अनुसार खातेदारी राजस्व रिकार्ड में वादीगण के अलग से नाम दर्ज नहीं हुई है तथा ना ही राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस में अलग से अंकन हुआ है। इसके अभाव में वादीगण अपनी भूमियों का जो एक खातेदार काश्तकार को सुविधायें उपलब्ध होती है। उनको प्राप्त करने के लिए वंचित रखा है तथा अपनी भूमियों का समुचित विकास करने में कठिनाईयों आ रही है। इसलिये खातेदारी अलग से दर्ज कराया जाना आवश्यक है। वादी द्वारा प्रतिवादीगण को कई बार वादी के बाहमी बंटवारे से दर्शित भूमियों है उनको अपने नाम अलग से दर्ज करवाने बाबत कहने पर प्रतिवादीगण पहले तो हां करते रहे एवं आश्वासन देते रहे परन्तु अब भूमियों की बढ़ती हुई कीमतों के कारण वादी की भूमियों पर प्रतिवादीगण की गलत नजर हो गयी है तथा वादी को आये दिन हैरान परेशान करतेहै तथा धमकी देने लगे है कि हम संयुक्त खातेदारी की आड़ में वादी के बाहमी बंटवारे में आयी हुई भूमियों को दीगर भूमाफियावृत्ति के लोगों को बैचान करेगें तथा बाहमी बंटवारे के अनुसार वादी के हक हिस्से व अधिकार की भूमियों की नींव सींव नष्ट करेगें तथा बाहमी बंटवारा भंग कर वादी को उसके हिस्से में आई भूमि का उपयोग उपभोग स्वतंत्र रूप से नहीं करने देंगें। प्रतिवादीगण ने उपयोग उपभोग में मजाहमत की धमकी देना चालू कर दिया है। जिनका उनको किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। इसलिये प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित है।



32
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)


वादीगण ने पूर्व में प्रतिवादीगण को बंटवारा कराने हेतु कहा तो पूर्व में हाँ करते रहे व टालते रहे परन्तु दिनांक 18.01.2021 को वादीगण ने प्रतिवादीगण को कहा तो वे आनाकानी करने लग गये व बंटवारे कराने से इन्कार ही गये। इसी कारण मन्सूर होकर वादीगण को यह वादपत्र न्यायालय हाजिरी में पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रतिवादीगण बिना बंटवारा कराये उपरोक्त वर्णित भूमियों को दीगर भूमाफियावृत्ति के लोगों को बैचान करने व वादीगण के हिरसे की भूमि के उपयोग उपयोग में मनाहमल करने व बाह्यी बंटवारा भंगकर वादी को बेवखल करने पर आग्रह ही रहे है तथा कहने सुनने से मान नहीं रहे है तथा एहलाशियों कह रहे है कि हम भूमि को दीगर भूमाफियावृत्ति के लोगों को बिना विधिक बंटवारा कराये ही विक्रय करेंगे। यदि प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि दीगर भूमाफियावृत्ति के लोगों को अन्तर्ण कर दिया या किसी अन्य प्रकार से इफ्तारनामा, दानलेख आदि से अन्तर्ण कर दिया या वादी के हक हिरसे कब्जे वाली भूमि पर अवैध कब्जा या अतिक्रमण कर लिया या दीगर क्रिमी का करा दिया तो वादी के भूमि मुतनाजा में निहित विधिक हक हकूक मन्वीर रूप से आवित होंगे। वादी अपने हिरसे की भूमियों से बेजा तौर पर महकूम हो जावेगा तथा आवश्यक रूप से मुकदमेबाजी बढ़ेगी। जिससे वादी को इस कदर क्षति होगी। जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से सम्भव नहीं हो सकेगी। इसलिए प्रतिवादीगण को उक्त गलत, अवैध एवं मनमाने रूप से की जा रही कार्यवाही को वादी जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का कानूनी अधिकारी है। प्रतिवादीगण को न्यायहित में स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। कानूनी बंटवारा करवाना वादीगण का अधिकार है। इसलिए दावा दायर करना लाजिम आया। वादीगण ने वादपत्र की उक्त वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1001 से 1017, 1023 से 1025, 1029, 1045 से 1058, 1069, 1070, 1264, 1266, 1267, 1309 से 1314, 1314/2794, 1315 से 1318, 1321, 988 से 990, 994, 997 से 999 कुल किता 59 कुल रकबा 16.36 हे० तन् ग्राम बुर्जा की द्वाणी तहसील श्रीगाधोपुर जिला सीकर राजस्थान का वादपत्र की मद नम्बर 3 में वर्णितानुसार बंटवारा किया जाकर वादीगण को भूमि खसरा नम्बर 1011 रकबा 0.44 हैक्टर सम्पूर्ण एवं खसरा नम्बर 1012 रकबा 0.53 हैक्टर सम्पूर्ण एवं खसरा नम्बर 1009 रकबा 0.35 हैक्टर में से 0.28 हैक्टर भूमि उत्तरी दिशा का अलग



32
सहायक क्लर्क (फास्ट ट्रेक)
श्रीगाधोपुर (नीमकाथाना)

राजस्व रिकार्ड बनाया जाकर लगान कायम किया जावे तथा अलग-अलग नक्शे में तराहीम किये जाने तथा अलग से बट्टा नम्बर डाला जाकर रिकार्ड दुरुस्त किये जाने एवं उक्त भूमि से प्रतिवादीगण का नाम हजफ किये जाने एवं मृत्तक खातेदार डालूराम पुत्र धन्वाराम दयालराम पुत्र नाथा उर्फ नाथूराम एवं भागली पत्नि बट्टी का नाम भी हजफ फरमाये जाने एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किये जाने कि वे वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि में वादीगण के हक हिस्से में आई भूमि के वादीगण के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त एवं उपयोग-उपभोग में किसी प्रकार की मजाहमत ना तो स्वयं करे ना ही दीगर से करावे, ना ही उक्त भूमि के किसी भी भू भाग पर कच्चा या पक्का निर्माण कार्य नहीं करें, ना ही दीगर से करावे। दावा वादीगण बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण के बंटवारा चाहने एवं प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन अपने द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में वादीगण द्वारा किया गया है।


इस पर वादीगण के वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। वादी भँवरलाल के फौत होने पर उनके वारिसान् की ओर से श्री आदित्य प्रताप सिंह नरुका एड0 उपस्थित आये। प्रतिवादीगण नम्बर 1 से 33 की सम्मन तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से हो जाने तथा इनकी डाक विभाग की ट्रैकिंग रिपोर्ट भी पेश हो जाने के उपरान्त दो माह से भी अधिक का समय हो जाने के बावजूद भी हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादीगण संख्या 1 से 33 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादीगण संख्या 34 से 43 की तामील सम्यक रूप से हो जाने के उपरान्त भी हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादीगण संख्या 34 लगायत 43 के विरुद्ध भी एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में वकील वादीगण ने प्रकरण के तकास्मा से सम्बन्धित होने से वादपत्र में प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने का निवेदन करते हुए प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने हेतु वादीगण की ओर से पक्षकारान के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हक हिस्से व कब्जे काश्त अनुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने हेतु अपनी सहमति व्यक्त कर दिये जाने तथा वादपत्र के बंटवारा से सम्बन्धित होने से प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री किये जाने हेतु बहस वकील वादीगण सुनी गई।


तहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

वकील वादीगण ने प्रकरण के तकास्मा से सम्बन्धित होने से प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किये जाने पर प्रकरण में दिनांक 26.12.2023 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम-18 से 21 के अनुसार एवं राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक राम/न्याया/स्था/ प-51/ 2008/विधिघ 10346 दिनांक 05.10.2020 में वर्णित दिशा निर्देशानुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर जरिये पत्रांक 293/रीडर/2024 दिनांक 12.02.2024 के द्वारा पालना रिपोर्ट मय विधिक विभाजन प्रस्ताव मय कुर्रजात रिपोर्ट अलग-अलग रंगों में तैयार कर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही गई। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 2186/भूअ./2024 दिनांक 26.09.2024 के पालना रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के प्राप्त होकर न्यायालय के समक्ष पेश की गई। तहसीलदार श्रीमाधोपुर के मौका पर्चा रिपोर्ट को शामिल पत्रावली की गई। वादीगण अभिभाषक ने प्रकरण के बंटवारा से सम्बन्धित होने तथा प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रजात रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से आज ही बहस सुनी जाकर निस्तारण किये जाने का निवेदन किया।



हमने वादीगण अभिभाषक की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादीगण अभिभाषक द्वारा की गयी बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं राजस्व रिकार्ड अंतिम चौसला जमाबंदी सम्वत 2074 से 2077 व खसरा नक्शा एवं जमाबन्दी के अनुसार वादग्रस्त भूमि के वादीगण व प्रतिवादीगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। इस आधार पर


सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाधाना)


वादीगण काश्तकारी अधिनियम- 1955 के अन्तर्गत धारा 53 बंटवारा का हकदार है। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि वादीगण पक्षकारान् अपने हक हिस्से का विभाजन अन्तर्गत धारा- 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम- 1955 के प्रावधानों के अधीन कराये जाने के अधिकारी है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट से वकील वादीगण ने अपनी सहमती प्रकट की है। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 30 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में वादीगण व प्रतिवादीगण के प्रारम्भिक डिक्री की पालना में प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज करने बाबत वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

—:कियात्मक आदेश :-



अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत बंटवारा एवं स्थानों निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है। इस प्रकार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य हुए बाहमी बंटवारा अनुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अनुसार दिनांक 26.09.2024 में वर्णित विधिक विभाजन प्रस्ताव, नजरी नक्शा ट्रेस के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है:-

वर्तमान जमाबन्दी के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति :-


सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाधाना)

क्र.सं.
1

काश्तकारों के नाम
मग हिरसा

1. अर्जुनलाल पुत्र भग्याशम हिरसा

1/32, जाति अहीर सा. देह

खातेदार राहिन स्टेट बैंक ऑफ

इण्डिया शाखा अजीतगढ़

2. कमली देवी पत्नि हरिशम हिरसा

1/98, जाति अहीर सा. देह

खातेदार राहिन एचडीएफसी बैंक

शाखा अजीतगढ़

3. कैलाश पुत्र नारायण हिरसा 1/24,

जाति अहीर सा. देह खातेदार

राहिन पंजाब नेशनल बैंक हरदास

का बास

4. कैलाश पुत्र दयालराम हिरसा

1/98, जाति अहीर सा. देह

खातेदार राहिन पंजाब नेशनल बैंक

हरदास का बास

5. कविता यादव पत्नि शीशराम यादव

हिस्सा 25/3272, जाति अहीर सा.

देह खातेदार

6. गिरधारी लाल पुत्र नाथा उर्फ

नाथूराम हिस्सा 1/32, जाति

अहीर सा. देह खातेदार राहिन

बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण

बैंक शाखा झाड़ली

7. गीता देवी पुत्री बोदू हिस्सा 1/16,

जाति अहीर सा. देह खातेदार

8. गोठी देवी पुत्री प्रभूराम हिस्सा

1/24, जाति अहीर सा. ढाणी

खसरा नं.

रकबा
(हेक्टेर)

किस्म

जमान
(क. मं)

988

0.32

बारानी 3

0.51

989

0.26

बारानी 3

0.41

990

0.32

बारानी 3

0.51

994

0.33

बारानी 3

0.52

997

0.06

बारानी 3

0.08

998

0.19

बारानी 3

0.30

999

0.16

बारानी 3

0.24

1001

0.08

बंजड 1

0.11

1002

0.32

बंजड 1

0.44

1003

0.16

बंजड 1

0.22

1004

0.26

बंजड 1

0.35

1005

0.08

बारानी 3

0.13

1006

0.28

बारानी 3

0.44

1007

0.21

बंजड 1

0.29

1008

0.07

बारानी 3

0.11

1009

0.35

बारानी 3

0.55

1010

0.72

बारानी 3

1.14

1011

0.44

बारानी 3

0.70

1012

0.53

बारानी 3

0.84

1013

0.21

बारानी 3

0.33

1014

0.33

बारानी 3

0.52



32

राहिन हिस्सा 1/24 स्टेट बैंक

आफ़े इण्डिया शाखा अजीतगढ़

17. भीवाराम पुत्र नारायण हिस्सा

1/24 जाति अहीर सा. देह.

खातेदार राहिन हिस्सा 1/24

पंजाब नेशनल बैंक शाखा हरदास

का बास

18. मनोज पुत्र हरिराम हिस्सा 1/96,

जाति अहीर सा. देह खातेदार

राहिन हिस्सा 1/96 एचडीएफसी

बैंक शाखा अजीतगढ़

19. मूली देवी पत्नि स्व0 डालूराम

हिस्सा 1/128, जाति अहीर ढाणी

जोध्या की वाली खातेदार

20. महेन्द्र पुत्र नेकीराम हिस्सा 1/288

जाति अहीर सा. देह खातेदार

21. रमेश पुत्र दयालराम हिस्सा 1/96

जाति अहीर सा. देह खातेदार

राहिन हिस्सा 1/96, पंजाब

नेशनल बैंक शाखा हरदास का

बास

22. रोहिताश पुत्र डालूराम हिस्सा

209/6544 जाति अहीर सा. देह

खातेदार

23. रोहिताश यादव पुत्र डालूराम

हिस्सा 1/128, जाति अहीर,

निवासी ढाणी जोध्या का वाली

खातेदार

24. लाडा पत्नि धन्नाराम हिस्सा 1/32

जाति अहीर सा. देह खातेदार



32
जिल्हाधिकारी (फास्ट ट्रॅक)
श्रीमहाधोपुर (नीमकाथान्त)

25. जादूराम पुत्र नाथा उर्फ नाथूराम

हिस्सा 1/32, जाति अहीर सा.

देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/32

बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण

बैंक शाखा झाड़ली

26. विकास पुत्र नेकीराम हिस्सा

1/288 जाति अहीर सा. देह

खातेदार

27. श्योदानराम पुत्र प्रभूराम हिस्सा

1/24 जाति अहीर सा. ढाणी

जोधाकीवाली खातेदार

28. श्रीराम पुत्र हरिराम हिस्सा 1/98,

जाति अहीर सा. देह खातेदार

राहिन हिस्सा 1/98, एचडीएफसी

बैंक शाखा अजीतगढ़

29. शिम्मूदयाल पुत्र नाथा उर्फ नाथूराम

हिस्सा 1/32 जाति अहीर सा. देह

खातेदार राहिन बड़ौदा राजस्थान

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा झाड़ली

सुगाराम पुत्र बदरी हिस्सा 1/24

जाति अहीर सा. देह खातेदार

राहिन बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय

ग्रामीण बैंक शाखा झाड़ली

31. सरोज पुत्री नेकीराम हिस्सा

1/288 जाति अहीर सा. देह

खातेदार

32. सरोजदेवी पुत्री नाथूराम हिस्सा

1/96 जाति अहीर सा. ढाणी

जोधाकीवाली खातेदार

33. सावत्री यादव पुत्री डालूराम हिस्सा



सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाधाना)

1/128 जाति अहीर सा. ढाणी

जोधाकावाली खातेदार

34. सीता यादव पुत्री डालूराम हिस्सा

1/128 जाति अहीर ढाणी जोधा

का वाली खातेदार

35. सीताराम पुत्र बदरी हिस्सा

1/24 जाति अहीर सा. देह

खातेदार राहिन बड़ौदा राजस्थान

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा झाड़ली

योग खाता

किता-44

13.19

—

20.25



श्रीमाधोपुर द्वारा भिजवाये गये मौके के अनुसार विधिक विभाजन प्रस्ताव :-

प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव

स.	काश्तकारों के नाम मय हिस्सा	प्रस्तावित खसरा न.	रकबा (हैक्टेमें)	किस्म	लगान (रु. में)
1	चौथी देवी पत्नी भँवरलाल हिस्सा 1/6, जगराम हिस्सा 1/6, सोहनलाल हिस्सा 1/6, कानाराम हिस्सा 1/6 पुत्रगण भँवरलाल, कमली देवी पुत्री भँवरलाल हिस्सा 1/6, सन्ति देवी पत्नि धूड़ाराम हिस्सा 1/18, मुकेश हिस्सा 1/18, लोकेश हिस्सा 1/18 पुत्रगण धूड़ाराम जाति अहीर निवासी ढाणी गादली तन् बुर्जा की ढाणी खातेदार	1009/1 1011 1012	0.28 0.44 0.53	बारानी-3 बारानी-3 बारानी-3	0.44 0.70 0.84
	योग खाता	किता-3	1.25	बारानी-3	1.98

38


सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाधाना)

1. अर्जुनलाल पुत्र घन्नाराम हिस्सा 687/19900, जाति अहीर सा. देह खातेदार राहिन स्टेट बैंक आई इण्डिया शाखा अजीतगढ़	998	0.32	बारानी 3	0.91
2. कमली देवी पत्नि हरिराम हिस्सा 1373/119400, जाति अहीर सा. देह खातेदार राहिन एचडीएफसी बैंक शाखा अजीतगढ़	999	0.26	बारानी 3	0.41
	990	0.32	बारानी 3	0.91
	994	0.33	बारानी 3	0.92
	997	0.05	बारानी 3	0.08
3. कैलाश पुत्र नारायण हिस्सा 55/1194, जाति अहीर सा. देह खातेदार राहिन पंजाब नेशनल बैंक हरदास का बास	998	0.19	बारानी 3	0.30
	999	0.15	बारानी 3	0.24
	1001	0.08	बंजड 1	0.11
4. कैलाश पुत्र दयालराम हिस्सा 1373/119400, जाति अहीर सा. देह खातेदार राहिन पंजाब नेशनल बैंक हरदास का बास	1002	0.32	बंजड 1	0.44
	1003	0.16	बंजड 1	0.22
	1004	0.25	बंजड 1	0.35
5. कविता यादव पत्नि शीशराम यादव हिस्सा 1007/119400, जाति अहीर सा. देह खातेदार	1005	0.08	बारानी 3	0.13
	1006	0.28	बारानी 3	0.44
6. गिरधारी लाल पुत्र नाथा उर्फ नाथूराम हिस्सा 687/19900, जाति अहीर सा. देह खातेदार राहिन बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा झाड़ली	1007	0.21	बंजड 1	0.29
	1008	0.07	बारानी 3	0.11
	1009/2	0.07	बारानी 3	0.11
	1010	0.72	बारानी 3	1.14
7. गीता देवी पुत्री बोदू हिस्सा 55/796, जाति अहीर सा. देह खातेदार	1013	0.21	बारानी 3	0.33
	1014	0.33	बारानी 3	0.52
	1015	0.37	बारानी 3	0.58
8. गोठी देवी पुत्री प्रभूराम हिस्सा 55/1194, जाति अहीर सा. ढाणी जोधाकीवाली खातेदार	1016	0.37	बारानी 3	0.58
	1017	0.18	बारानी 3	0.28



9	गोपाल पुत्र नारायण हिस्सा 55/1194, जाति अहीर साठ देह खातेदार राहिन पंजाब नेशनल बैंक हरदास का बास	1023	0.30	बंजड 1	0.54
		1024	0.20	बंजड 1	0.40
		1026	0.08	बंजड 1	0.12
10	ननाही देवी पत्नि शीताराम हिस्सा 3023/119400, जाति अहीर सा. देह खातेदार राहिन यूको बैंक शाखा अजीतगढ़	1029	0.17	बारानी 3	0.27
		1046	0.28	बारानी 3	0.44
		1046	0.11	बारानी 3	0.17
11.	नानू पुत्र देबू हिस्सा 409/2308 जाति अहीर सा. देह खातेदार राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा हरदास का बास	1047	1.81	बारानी 3	2.86
		1048	0.41	बंजड 1	0.57
		1049	0.25	बंजड 1	0.35
12.	प्रेमदेवी पत्नि स्व. नाथूराम हिस्सा 1373/119400 जाति अहीर सा. ढाणी जोधाकी वाली खातेदार	1050	0.32	बंजड 1	0.44
		1051	0.06	बंजड डोल	0.08
		1052	0.10	बारानी 3	0.16
13.	प्रेमप्रकाश पुत्र नाथूराम हिस्सा 1373/119400 जाति अहीर सा. ढाणी जोधाकीवाली खातेदार राहिन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा अजीतगढ़	1053	0.12	बारानी 3	0.19
		1054	0.62	बारानी 3	0.98
		1055	0.29	बारानी 3	0.46
		1056	0.15	बंजड 1	0.21
14.	पवन कुमार पुत्र नाथूराम हिस्सा 1373/119400, जाति अहीर, सा. ढाणी जोधाकीवाली खातेदार	1057	0.06	बारानी 3	0.09
		1058	0.22	बारानी 3	0.35
15.	भागली पत्नि बदरी हिस्सा 55/1194, जाति अहीर, सा. देह खातेदार राहिन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा अजीतगढ़	1069	0.48	बारानी 3	0.76
		1070	0.40	बारानी 3	0.63
16.	भीवाराम पुत्र नारायण हिस्सा 55/1194 जाति अहीर सा. देह. खातेदार राहिन पंजाब नेशनल बैंक				




 अध्यायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
 श्रीमहाधोपुर (नीमकाथाना)

शाखा हरदास का बास

17 मनोज पुत्र हरिराम हिस्सा

1373/119400, जाति अहीर सा
देह खातेदार राहिन एचडीएफसी
बैंक शाखा अजीतगढ़

18 मूली देवी पत्नि स्व० डालूराम

हिस्सा 103/11940, जाति अहीर
ढाणी जोधा की वाली खातेदार

19 महेन्द्र पुत्र नेकीराम हिस्सा

457/119400 जाति अहीर सा. देह
खातेदार

20 रमेश पुत्र दयालराम हिस्सा

1373/119400 जाति अहीर सा.
देह खातेदार राहिन पंजाब नेशनल
बैंक शाखा हरदास का बास

21. रोहिताश पुत्र डालूराम हिस्सा

351/9950 जाति अहीर सा. देह
खातेदार

रोहिताश यादव पुत्र डालूराम
हिस्सा 103/11940, जाति अहीर,
निवासी ढाणी जोधा का वाली
खातेदार

23. लाडा पत्नि धन्नाराम हिस्सा

687/19900 जाति अहीर सा. देह
खातेदार

24. लादूराम पुत्र नाथा उर्फ नाथूराम

हिस्सा 687/19900, जाति अहीर
सा. देह खातेदार राहिन बड़ौदा
राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
शाखा झाड़ली



26. विकास पुत्र नेकीराम हिस्सा
457/119400 जाति अहीर सा. देह
खातेदार

27. श्योदानराम पुत्र प्रभूराम हिस्सा
85/1194 जाति अहीर सा. ढाणी
जोधाकीवाली खातेदार

28. श्रीराम पुत्र हरिराम हिस्सा
1373/119400, जाति अहीर सा.
देह खातेदार राहिन एचडीएफसी
बैंक शाखा अजीतगढ़

29. शिम्भूदयाल पुत्र नाथा लर्फ नाथूराम
हिस्सा 687/19900 जाति अहीर
सा. देह खातेदार राहिन बड़ौदा
राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
शाखा झाड़ली

29. सुमाराम पुत्र बदरी हिस्सा
55/1194 जाति अहीर सा. देह
खातेदार राहिन बड़ौदा राजस्थान
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा झाड़ली

30. सरोज पुत्री नेकीराम हिस्सा
457/119400 जाति अहीर सा. देह
खातेदार

31. सरोजदेवी पुत्री नाथूराम हिस्सा
1373/119400 जाति अहीर सा.
ढाणी जोधाकीवाली खातेदार

32. सावत्री यादव पुत्री डालूराम हिस्सा
103/11940 जाति अहीर सा.
ढाणी जोधाकावाली खातेदार

33. सीता यादव पुत्री डालूराम हिस्सा
103/11940 जाति अहीर ढाणी



जोधा का वाली खातेदार

34. सीताराम पुत्र बदरी हिस्सा

55/1194 जाति अहीर सा. देह

खातेदार राहिन बडौदा राजस्थान

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा झाड़ली

योग खाता

किता-42

11.94

बारानी

18.27

अतः उपरोक्तानुसार राजस्व जनाबन्दी में अंकन स्वीकार किया जाकर पृथक-पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी अलग-अलग की जावे। रहन इत्यादि हो तो बदस्तूर रखा जावे। तहसीलदार (भू.अ.) श्रीमाधोपुर के जरिये पत्राक 2186/भू.अ./24 दिनांक 26.09.2024 के द्वारा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव व इसके संलग्न नजरी नक्शा मय कुर्रेजात रिपोर्ट को अन्तिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।



सहायक अतिरिक्त (कमर) (प्लेट ट्रेक)
सहीमाधोपुर (निमकाथाना) (प्लेट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (निमकाथाना)

यह निर्णय आज दिनांक 16.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले

न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक अतिरिक्त (कमर) (प्लेट ट्रेक)
सहीमाधोपुर (निमकाथाना) (प्लेट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (निमकाथाना)